

**ई-निविदा सूचना (अतिअल्पकालीन)**

नगर पालिका परिषद गुलावठी जनपद बुलन्दशहर में पंजीकृत ठेकेदारों से 14वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत निम्न निर्माण कार्य हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। 14वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत निम्न कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि से अतिरिक्त का भुगतान पालिका निधि/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। क्रमांक 08, 09 व 10 पर अंकित कार्यों हेतु निविदादाता का पालिका में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा, रजिस्टर्ड फर्म/अधिकृत निर्माता उक्त कार्यों के लिए निविदाएं डाल सकते हैं। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई-प्रिक्योरमेंट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यों के निविदा स्कैन आर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय		07.03.2019 अपराह्न 2.00 बजे तक					
कार्यों की निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि एवं समय		27.02.2019 से 07.03.2019 अपराह्न 2.00 बजे तक					
कार्यों की निविदा खोलने की तिथि एवं समय		07.03.2019 अपराह्न 03.00 बजे					
क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	योजना	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	18% G.S.T.	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल निकासी की उचित व्यवस्था हेतु वार्ड सं० 11 मौ० लाल डिग्गी मड़भूजों की पुलिया से मुगल गार्डन की पुलिया तक नाले की मरम्मत व नाले का पटाव करने का कार्य।	1186072	14वां वि०आ०	23721	300	54	02 माह
2	वार्ड सं० 12 मौ० श्योदत पुरानी अनाज मण्डी में वेदप्रकाश के मकान से हरिप्रकाश के मकान तक जल निकासी हेतु नाली निर्माण व इन्टरलॉकिंग का कार्य।	2027203	..	40544	500	90	02 माह
3	वैडिंग जोन में वैडर्स को व्यवस्थित करने हेतु वार्ड सं० 07 में सलीम फर्नीचर की दुकान से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलावठी के अगले गेट तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	1030725	..	20615	300	54	02 माह
4	वार्ड सं० 10 मौ० रामनगर में नार्थी के कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल का कार्य।	1178799	..	23576	300	54	02 माह
5	वार्ड-12 में पुरानी सब्जी मण्डी में वैडिंग जोन हेतु इन्टरलॉकिंग टाइल्स व एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	1665878	..	33318	400	72	02 माह
6	वार्ड सं० 22 मौ० पीरखा में ताज गार्डन रोड से पप्पू मूसे वाले तक मिट्टी भराव व इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	1590500	..	31810	400	72	02 माह
7	वार्ड सं० 24 मौ० पीरखा में पीर भूरे शाह की मजार व कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल का कार्य।	2445772	..	48915	500	90	02 माह
8	नाला पटाव कार्य हेतु स्लैब की आपूर्ति कार्य।	1623600	..	32472	400	72	02 माह
9	एक छोटा ट्रैक्टर (15 एच०पी०) आपूर्ति कार्य <b>(वीमा व रजिस्ट्रेशन सहित)</b>	295000	..	5900	100	18	15 दिवस
10	02 नग (02 सीटर) मोबाइल टॉयलेट की आपूर्ति (शांभालय की व्यवस्था हेतु)	770000	..	15400	200	36	15 दिवस
11	वार्ड-24 मौ० पीरखा में कुरेशी कब्रिस्तान के गेट के पास मिट्टी भराव एवं पुश्ते का कार्य।	1030620	अय०वि० निधि	20612	300	54	02 माह
12	पालिका के वाहनों के रख-रखाव हेतु वार्ड सं० 02 मौ० रामनगर ईदगाह पर स्थित पम्प नं० 2 के कम्पाउण्ड में इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	1408735	..	28175	300	54	02 माह

**निविदाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु एवं शर्त :-**

- सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
- किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद गुलावठी के सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा। निविदा शुल्क जी०एस०टी० की धनराशि सहित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।
- यदि किसी कारणवश निविदा दिनांक 07 मार्च 2019 को नहीं खोली जाएंगी तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जाएंगी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निविदा न खोले जाने पर निविदा खोले जाने की अग्रिम सूचना नियमानुसार दे कर निविदा खोली जाएगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/नकद कॉलम संख्या 5 में अंकित विवरण के अनुसार, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बंधक होगी, की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति बाध्यनीय है।
- प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को पंजीकरण प्रमाण पत्र, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी०एस०टी० पंजीकरण व श्रम विभाग के पंजीकरण की प्रतियाँ अपलोड करना अनिवार्य होगा। शासनादेश संख्या 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर 2018 के अनुसार तकनीकी तथा वित्तीय बिड्स खुलने के उपरान्त कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपरोक्त की मूल प्रतियाँ कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होंगी।
- जिन ठेकेदारों/फर्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2018-2019 के लिए पालिका में हो चुका है, वही ठेकेदार/फर्म निविदा डालने हेतु अर्ह होंगे।
- निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/09टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत धनराशि प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत धनराशि प्रति 1 प्रतिशत निम्न दर पर परफोरमेंस गारन्टी के रूप में अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- शासनादेश संख्या 0145/नौ-9-2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यदिश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।



10. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के आधार पर परिवहन किये जायें, बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
12. शासनादेश संख्या 24वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120अजट/2013 नगर विका अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त 2017 के अनुपालन में योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कॉन्ट्रैक्टर की होगी। परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जाएगी।
13. कार्य पूर्ण होने पर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार के बिल से जी0एस0टी0 की धनराशि को रोकते हुए बिल का भुगतान पालिका द्वारा किया जाएगा। जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान फर्म द्वारा किये जाने के उपरान्त भुगतान से सम्बन्धित वाउचर निकाय में जमा करने के उपरान्त (as per actuals) इस धनराशि की प्रतिपूर्ति निकाय द्वारा फर्म को की जाएगी।
14. निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लिखित कार्य का अलग-अलग विवरण उनकी आंगणन लागत निविदा की अर्नेस्टमनी निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त वेबसाईड पर देखा जा सकता है। विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग-अलग निविदा आमंत्रित है।
15. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियां देय होगी।
16. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भली-भांति निरीक्षण अवश्य कर लें।
17. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायाधिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।
18. शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. उपरोक्त सूचना जिले की वेबसाईट <http://www.bulandshahr.nic.in> तथा पालिका की वेबसाईट [www.appegulaothibsr.in](http://www.appegulaothibsr.in) पर भी देखी जा सकती है।
20. निविदा के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत सूचना एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में न0प40प0गुलावठी के निर्माण विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।

(मुक्ता सिंह)  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद गुलावठी  
जनपद बुलन्दशहर

(काले खां कुरैशी)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद गुलावठी  
जनपद बुलन्दशहर

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवरयक कार्यवाही हेतु-**

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपजिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
5. जिला सूचना राष्ट्रीय इन्फारमेशन केंद्र, बुलन्दशहर को पत्र के साथ उक्त निविदा की सी0डी0 की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इन निविदाओं को जिला बुलन्दशहर की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. कार्यालय नगर पालिका परिषद, गुलावठी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

अधिसासी अधिकारी  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद गुलावठी  
(बुलन्दशहर)